

## भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्तों) नियम, 2016<sup>1</sup>

[23.10.2023 को अद्यतन किया गया]

केंद्रीय सरकार, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) की धारा 14 की उपधारा (4) के साथ पठित धारा 53 की उपधारा (2) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्तों) नियम, 2016 है।

(2) ये उनके राजपत्र के प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

**2. परिभाषाएं-** (1) इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों-

- (क) "अधिनियम" से आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) अभिप्रेत है;
- (ख) "प्राधिकरण" से अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण अभिप्रेत है;
- (ग) "पूर्णकालिक अध्यक्ष" से अधिनियम की धारा 12 के अधीन पूर्णकालिक आधार पर नियुक्त प्राधिकरण का अध्यक्ष अभिप्रेत है;
- (घ) "सदस्य" से अधिनियम की धारा 12 के अधीन नियुक्त प्राधिकरण का अंशकालिक सदस्य अभिप्रेत है;
- (ङ) "अंशकालिक अध्यक्ष" से अधिनियम की धारा 12 के अधीन अंशकालिक आधार पर नियुक्त प्राधिकरण का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(2) शब्द और पद, जो इनमें प्रयुक्त हैं किंतु परिभाषित नहीं हैं और अधिनियम में परिभाषित हैं, का वही अर्थ होगा जो उनका अधिनियम में है।

**3. अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए खोजबीन-सह-चयन समिति-** (1) प्राधिकरण के अध्यक्ष और उसके प्रत्येक अंशकालिक सदस्य की नियुक्ति केंद्रीय सरकार द्वारा खोजबीन-सह-चयन समिति की सिफारिश पर की जाएगी, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी-

- |  |               |
|--|---------------|
| (क) मंत्रिमंडल सचिव  | अध्यक्ष, पदेन |
| (ख) सचिव, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग   | सदस्य, पदेन   |
| (ग) वित्त सचिव, वित्त मंत्रालय   | सदस्य, पदेन   |
| (घ) सचिव, इलैक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग  | सदस्य, पदेन   |
| (ङ) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के प्रभारी मंत्री द्वारा सुसंगत क्षेत्र से नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले दो विशेषज्ञ |               |

<sup>1</sup>भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खण्ड (i), दिनांक 12.7.2016 में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 680 (अ) (2016 की संख्या 1), दिनांक 12.7.2016 द्वारा प्रकाशित।

(2) खोजबीन-सह-चयन समिति उपनियम (1) के प्रयोजन के लिए अपनी प्रक्रिया का विनियमन कर सकेगी।

**4. वित्तीय या अन्य हित की घोषणा-** अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य उस रूप में अपनी नियुक्ति पर या उससे पूर्व शपथ-पत्र द्वारा किसी अस्तित्व में पूर्ववर्ती नियोजन और शेरधारण तथा वित्तीय और अन्य हित की विशिष्टियों की घोषणा करेगा।

**5. वेतन-** (1) पूर्णकालिक अध्यक्ष मासिक वेतन और ऐसे अन्य भत्ते का हकदार होगा, जो भारत सरकार के किसी सचिव को लागू होता है।

(2) पूर्णकालिक अध्यक्ष प्राधिकरण की बैठक में भाग लेने के लिए किसी अन्य बैठक फीस का हकदार नहीं होगा।

(3) अंशकालिक अध्यक्ष और सदस्य प्राधिकरण की बैठक में भाग लेने के लिए क्रमशः पच्चीस हजार रुपए और बीस हजार रुपए का भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंगे।

**6. वाहन भत्ता –** अंशकालिक अध्यक्ष और सदस्य उसके द्वारा प्राधिकरण के बैठक में भाग लेने के लिए उपगत वातानुकूलित टैक्सी प्रभारों के वास्तविक खर्च का हकदार होगा और प्रतिपूर्ति का दावा प्राधिकरण द्वारा वाहन उपलब्ध न कराए जाने की दशा में स्वतः प्रमाणन के आधार पर किया जाएगा।

**7. यात्रा भत्ता –** (1) अध्यक्ष यात्रा पर या प्राधिकरण में सम्मिलित होने के लिए की गई यात्रा पर या प्राधिकरण में पदावधि के अवसान पर अपने गृह नगर को अग्रसर होने के समय यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता, वैयक्तिक सामान के परिवहन के लिए भत्ते का और अन्य फायदों का उसी दर पर हकदार होगा जो भारत सरकार के सचिव को लागू होती है।

(2) अंशकालिक सदस्य को ऐसे सदस्य के रूप में उसके कर्तव्यों के निर्वहन के लिए उसके निवास के साधारण स्थान से बाहर जाने का आह्वान करने पर वह यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता और आवास का उसी दर पर हकदार होगा, जो भारत सरकार के सचिव को लागू होती है।

**8. छुट्टी यात्रा रियायत-** पूर्णकालिक अध्यक्ष उसी दर पर छुट्टी यात्रा रियायत का हकदार होगा, जो भारत सरकार के सचिव को लागू होती है।

**9. छुट्टी और छुट्टी नकदीकरण-** (1) पूर्णकालिक अध्यक्ष सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए तीस दिन की अर्जित छुट्टी का हकदार होगा।

(2) छुट्टी के दौरान छुट्टी वेतन का संदाय केंद्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 के नियम 40 द्वारा शासित होगा।

(3) पूर्णकालिक अध्यक्ष इस शर्त के अधीन रहते हुए कि किसी कलेंडर वर्ष में अधिकतम बारह दिन के लिए किसी कलेंडर वर्ष में केवल एक बार नकदीकरण अनुज्ञात किया जाएगा, किसी समय उनके खाते में अर्जित छुट्टी का पचास प्रतिशत नकदीकरण करने का हकदार होगा।

(4) भारत का राष्ट्रपति पूर्णकालिक अध्यक्ष को छुट्टी स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा।

**10. सत्कार भत्ता –** अध्यक्ष सत्कार भत्ते का हकदार नहीं होगा।

- 11. उपदान और पेंशन** – (1) अध्यक्ष उपदान का हकदार नहीं होगा।  
(2) पूर्णकालिक अध्यक्ष केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को लागू राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में शामिल होने का पात्र होगा।
- 12. टेलीफोन सुविधा-** पूर्णकालिक अध्यक्ष टेलीफोन सुविधा का हकदार होगा, जो भारत सरकार क सचिव को अनुज्ञेय है।
- 13. चिकित्सा सुविधा-** पूर्णकालिक अध्यक्ष प्राधिकरण की सेवा के दौरान केंद्रीय कर्मचारियों को उपलब्ध केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के चिकित्सा उपचार और सुविधाओं का हकदार होगा।
- 14. पद और गोपनीयता की शपथ-** अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाने वाला प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक सदस्य अपना पद ग्रहण करने से पूर्व इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के भारसाधक मंत्री के समक्ष इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट क्रमशः प्ररूप 1 और प्ररूप 2 में पद और गोपनीयता की शपथ लेगा और हस्ताक्षर करेगा।
- 15. अवशिष्ट उपबंध-** अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा के निबंधनों और शर्तों से संबंधित कोई विषय, जिसके संबंध में इन नियमों में कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं किया गया है, प्राधिकरण द्वारा केंद्रीय सरकार को उसके विनिश्चय के लिए निर्दिष्ट किया जाएगा।

### अनुसूची

#### प्ररूप 1

#### (नियम 3 देखें)

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के अध्यक्ष/सदस्यों के लिए पद की ली जाने वाली शपथ का प्ररूप

मैं, ....., भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के अध्यक्ष/सदस्य के रूप में नियुक्त हुआ हूं। सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं/ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं अध्यक्ष/सदस्य के रूप में अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना निर्वहन करूंगा।

(अध्यक्ष/सदस्य का नाम)

#### प्ररूप 2

#### (नियम 3 देखें)

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के अध्यक्ष/सदस्यों के लिए गोपनीयता की ली जाने वाली शपथ का प्ररूप

मैं, ....., भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के अध्यक्ष/सदस्य के रूप में नियुक्त हुआ हूं, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं/ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं किसी ऐसे विषय, जो उक्त प्राधिकरण के अध्यक्ष या

सदस्य के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा या मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि अध्यक्ष/सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।

(अध्यक्ष/सदस्य का नाम)